(वाद सं० – 5872/4/16/2021)

03.05.2023

जिला पदाधिकारी, कटिहार की ओर से प्राधिकृत, **कुमार सिद्धार्थ, अनुमण्डल पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार** उपस्थित है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, मनिहारी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, संजय कुमार संजय, लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, अमदाबाद, कटिहार को क्रमशः दिनांक–01.02.2019 से 08.02.2019, 01.03.2021 से 25.04.2021, 26.04.2021 से 27.05.2021 (उपार्जित अवकाश), 28.05.2021 से 31.05.2021, जून–2021, जुलाई 2021 का कार्यावधि वेतन, बकाया जुलाई 2020, अगस्त 2020 एवं सितम्बर 2020 का अंतर वेतन तथा निलम्बन अवधि क्रमशः दिनांक–09.02.2019 से 28.02.2019, फरवरी 2020, दिनांक–01.03.2020 से 08.03.2020 तक ससमय भुगतान जानबूझकर एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

आज सुनवाई के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवाद पत्र में उल्लेखित परिवादी के सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा परिवादी का अनुमण्डल कार्यालय, मनिहारी में अब कोई बकाया शेष नहीं है। अपने प्रतिवेदन में अनुमण्डल पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में लगाया गया आरोप सत्य से परे है।

अब जबकि परिवादी के बकाया वेतन का भुगतान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य

आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर संचिकास्त्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदन (पृष्ठ 29–26/प0) तथा (पृष्ठ 40–31/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

निबंधक